



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 15.11.2022

1-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 02 अन्तर्राज्यीय शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की 09 मो0सा0 , 01 स्कूटी व 02 अवैध चाकू बरामद ।

थाना बादलपुर पुलिस द्वारा दिनांक 14.11.2022 को भारत धर्मकांटा जीटी रोड छपरौला से दौराने चौकिंग 02 अभियुक्त 1. प्रदीप उर्फ बौना पुत्र हरिराज उर्फ हरिकिशन निवासी मौहल्ला कावा कि सराय थाना देहली गेट जिला अलीगढ हाल पता एस्कोर्ट कालोनी रुपवास मोड थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर 2 गौरव पुत्र रोहताश निवासी रामपुर बदरपुर थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से चोरी की 09 मो0सा0 तथा 01 स्कूटी व 02 अवैध चाकू बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. प्रदीप उर्फ बौना पुत्र हरिराज उर्फ हरिकिशन निवासी मौहल्ला कावा कि सराय थाना देहली गेट जिला अलीगढ हाल पता एस्कोर्ट कालोनी रुपवास मोड थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर

2 गौरव पुत्र रोहताश निवासी रामपुर बदरपुर थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास का विवरण-

प्रदीप उर्फ बौना उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 333/22 धारा 414/411/482 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0सं0 334/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

3. मु0अ0सं0 501/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

4. मु0अ0सं0 503/18 धारा 411/414/482 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

5. मु0अ0सं0 32/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

गौरव पुत्र रोहताश निवासी रामपुर बदरपुर थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर

1. मु0अ0सं0 333/22 धारा 414/411/482 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0सं0 335/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. मो0सा0 स्पलेण्डर रंग काला मो0सा0 न0 UP13A3266 व चेसिस नं0 MBLHA10CGHHA83069
2. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला सिल्वर रजि0न0 DL5SCQ0362 चैसिस न0 MBLHAW121LHL17164 व इंजन न0 HA11EYLHL11232 सम्बन्धित मु0अ0स0 645/22 धारा 379 भादवि थाना कोशाम्बी गाजियाबाद,
3. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग ग्रे ब्लैक बिना नम्बर ।चैसिस न0 MBLHAW885AHG56131 व इंजन न0 HA10AGKHGE0489 है। जिसका वास्तविक नम्बर DL9SBV9124 है सम्बन्धित मु0अ0स0 374/19 धारा 379 भादवि थाना उद्योग विहार गुरुग्राम हरियाणा,
4. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग ब्लैक बिना नम्बर । चैसिस न0 MBLHAW082JHK25243 व इंजन न0 HA10AHKHK19401 है। उक्त मो0सा0 का वास्तविक नम्बर UP21CD5432 सम्बन्धित मु0अ0स0 172/22 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली गाजियाबाद,
5. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग सीएसवी बिना नम्बर । चैसिस न0 MBLHAR088HHJA2374 व इंजन न0 HA10AGHHJG5199 वास्तविक नम्बर UK08AQ0041 सम्बन्धित मु0अ0स0 511/18 धारा 379 भादवि थाना दोघट जिला बागपत,
6. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग ब्लैक बिना नम्बर प्लेट चैसिस न0 MBLHAW117MHG956319 व इंजन न0 HA11EVMHD40837 वास्तविक UP16CZ0814 नम्बर सम्बन्धित मु0अ0स0 752/22 धारा 379 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद,
7. स्कूटी टीवीएस रंग लाल रजि0न0 DL3SEF5066 चैसिस न0 MD626AG7X2A10103 व इंजन न0 AG7AK2525354 सम्बन्धित मु0अ0स0 2493/21 धारा 379 भादवि थाना ई पुलिस स्टेशन MV THEFT दिल्ली,
8. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग ब्लैक रजि0न0 UP20AW4324 चैसिस न0 MBLHA10CGGHJ85636 व इंजन न0 HA10ERGHJ65572,
9. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग ब्लैक रजि0न0 UP16BH0820 फर्जी नम्बर प्लेट जिम नेट पर चैक किया गया तो मो0सा0 CD110 होंडा ड्रीम मो0सा0 पंजीकृत है चैसिस न0 MBLHAR07XJHCA4811 वास्तविक नम्बर UP14DQ7063 पंजीकृत है । इंजन न0 HA10AGJHCH1802,
10. मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग ब्लैक बिना नम्बर प्लेट चैसिस न0 MBLHA10CGGHB8595
11. 02 नाजायज चाकू



2-थाना दनकौर पुलिस द्वारा एटीएम लूट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

थाना दनकौर पुलिस द्वारा दिनांक 15/11/22 को एटीएम लूट के वांछित अभियुक्त नासिर पुत्र मजीद नि0 ग्राम छापडा थाना रोजका मेव जिला नूह हरियाणा को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया है।

विवरण-

दिनांक 14.07.2021 को रात्रि में अभियुक्त नासिर पुत्र मजीद नि० ग्राम छापडा थाना रोजका मेव जिला नूह हरियाणा द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक कस्बा बिलासपुर जिला गौतमबुद्धनगर के एटीएम घुसकर गैस कटर से एटीएम काटकर नगदी ले गए व एक एटीएम को क्षतीग्रस्त कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में मु०अ०सं० 255/2021 धारा 380/427/457 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के 08 अन्य साथी पूर्व में गिरफ्तार किये जा चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नासिर पुत्र मजीद नि० ग्राम छापडा थाना रोजका मेव जिला नूह हरियाणा

अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 255/21 धारा 380/427/457 भा०द०वि० थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर



3-थाना बिसरख पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वाछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

थाना बिसरख पुलिस द्वारा दिनांक 14.11.2022 को अजनारा गोल चक्कर से हत्या के अभियोग में वाछित अभियुक्त ओमकार नागर पुत्र रामे नागर नि० रोजा याकूबपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर हाल पता न्यू कोट गाँव सत्यम एन्क्लेव कालोनी यादव नगर राकेश नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद उम्र-38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु०अ०सं० 745/2022 धारा 302/325/504/506/120बी भादवि पंजीकृत है ।

विवरण:

दिनांक 11.11.2022 को अभि० 1.कपिल नागर पुत्र रामे नागर नि० रोजायाकूबपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ने अभि० ओमकार नागर पुत्र रामे नागर नि० रोजा याकूबपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर के साथ षडयन्त्र रचकर अपने भाई अनिल नागर पर लोहे की रोड से हमला कर हत्या कर दी थी एवं मृतक की पत्नी के साथ भी मारपीट की थी जिससे उसके बांये हाथ की हड्डी टूट गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

ओमकार नागर पुत्र रामे नागर नि० रोजा याकूबपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर हाल पता न्यू कोट गाँव सत्यम एन्क्लेव कालोनी यादव नगर राकेश नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 745/2022 धारा 302/325/504/506/120बी भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर



#कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्वाई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के परिणाम स्वरूप साथ दुराचार करने के आरोपी को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्वाई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरूप अभियुक्त अतीक मौहम्मद पुत्र इस्माइल निवासी लखनावली मोड थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर को मु0अ0सं0 247/15 धारा 376,120बी आईपीसी व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम में आज दिनांक 15/11/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर श्री अनिल कुमार द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है।

कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्री आलोक सिंह के निर्देशानुसार कमिश्नर के अन्तर्गत सडक दुर्घटनाओ को रोकने के लिए अभियान चलाकर लोगो को जागरूक करने के लिए माह नवम्बर को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है।

इसी क्रम में यातायात पुलिस गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 15.11.2022 को जागरूकता/प्रवर्तन में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है -

जागरूकता कार्यक्रम (लगभग 10) -

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा कमिश्नर के विभिन्न स्कूल/कॉलेज छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गयी तथा उनका पालन करने हेतु प्रेरित किया गया।

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा परीचौक व कुलेशरा तिराहे पर ऑटो/टैम्पो चालको को यातायात नियमो की जानकारी दी गयी तथा उनका पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा सुत्याना तिराहे पर एलईडी वैन पर सॉर्ट वीडियो दिखाकर आमजन को यातायात नियमो के प्रति जागरूक किया गया।

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा कमिश्नरेट के विभिन्न संस्थानों में यातायात नियमो का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटो का वितरण किया गया।

प्रवर्तन की कार्यवाही का विवरण -

बिना हेलमेट - 293, बिना सीट बेल्ट - 65, विपरीत दिशा - 105, तीन सवारी - 22, मोबाइल फोन का प्रयोग - 06, बिना डीएल - 54

दोषपूर्ण नम्बर प्लेट - 14, ध्वनि प्रदूषण - 04, वायु प्रदूषण - 08, रेड लाइट का उल्लंघन - 22, नो पार्किंग - 175, अन्य - 32

कुल ई-चालान - 800

उपरोक्त के अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 09 वाहनों को सीज किया गया।

